

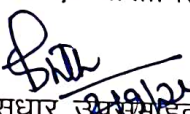
न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, चास(बोकारो)।

सी0एन0टी0 एक्ट की धारा 46(1)(b) के अन्तर्गत
अभिलेख संख्या-11/2024-25

—: आदेश :-

अनुसूची 14-फारम संख्या-560

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
02/09/24	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक (विक्रेता) छवि देवी पति-स्व0 सुभाष चन्द्र बाउरी, जाति-बाउरी, ग्राम-प्रभात कॉलोनी, चास, थाना-चास, जिला-बोकारो के द्वारा चास अंचल अन्तर्गत मौजा-तेलीडीह, थाना नं0-34, खाता नं0-27, प्लॉट नं0-1183, रकवा-4.25 डी0 भूमि बिक्री करने हेतु समर्पित आवेदन पत्र के आलोक में इस न्यायालय के पत्रांक 209/भू0सु0, दिनांक 08.06.2024 के द्वारा अंचल अधिकारी, चास से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई तथा आम सूचना निर्गत किया गया है जिसका तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख के साथ संलग्न है। अंचल अधिकारी, चास के पत्रांक 1494 दिनांक 01.07.2024 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जो निम्नवत् है :- 1. बिक्री की जाने वाली भूमि रैयती खाते की है जिसका सर्वे खतियान जगत बाउरी वगैरह के नाम से दर्ज है। 2. भूमि खतियान से प्राप्त है। विक्रेता खतियान रैयत का संबंध पितामह श्वसुर है। 3. पंजी II में दर्ज रैयत से विक्रेता का संबंध पितामह श्वसुर है। 4. (क) विक्रेता ग्राम-प्रभात कॉलोनी, थाना-चास, जिला-बोकारो का मूल निवासी है। (ख) क्रेता ग्राम-चंडीपुर, थाना-कसमार, जिला-बोकारो का मूल निवासी है। 5. विक्रेता एवं क्रेता, दोनों अनुसूचित जाति की श्रेणी में आते हैं। 6. क्रेता एवं विक्रेता (SC के मामले में) एक ही जिला बोकारो के अन्तर्गत आते हैं। बिक्री की जाने वाली भूमि इसी जिला के अन्तर्गत आता है। 7. विक्रेता बाउरी जाति के हैं एवं क्रेता धोबी जाति के हैं। 8. बिक्री की जानेवाली भूमि विवाद रहित है। 9. बिक्री की जानेवाली भूमि सैरात/भूदान/गैरमजरूआ आम व खास/कब्रिस्थान/सरना/मसना/धार्मिक-स्थल/अधिग्रहण इत्यादि से बाहर है। 10. प्रश्नगत भूमि बिक्री के पश्चात् विक्रेता के पास 1.22 एकड़ जमीन अवशेष बचता है। 11. बिक्री हेतु आवेदित प्लॉटों में पंजी II के अनुसार कुल 0.13 ए0 भूमि है। 12. भूमि बिक्री के उपरान्त विक्रेता भूमिहीन नहीं होंगे। 13. विक्रेता द्वारा बिक्री की जानेवाली भूमि विक्रेता को खतियान द्वारा प्राप्त है। 14. बिक्री की जानेवाली भूमि का जमाबंदी संख्या 68/1 पर जगत बाउरी के नाम से दर्ज है, जो ऑनलाईन जमाबंदी के भाग सं0-01, पृष्ठ सं0-68 में अंकित है, जिसका लगान रसीद वर्ष 2024-25 तक निर्गत है। 15. विक्रेता का वंशावली अभिलेख के साथ संलग्न है जो अंचल अधिकारी द्वारा सत्यापित है। 16. स्थल पर विक्रेता का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है। 17. बिक्री की जानेवाली भूमि का किरम रैयती बाईद है। 18. आवेदक को मौजा-तेलीडीह, थाना नं0-34, खाता नं0-27, प्लॉट नं0-1183, रकवा-4.25 डी0 भूमि बिक्री की अनुमति हेतु अनुशंसा की जाती है। 19. प्रतिवेदन के साथ आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन संलग्न है।	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	विक्रेता का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं० JHLRCO/2024/289205 दिनांक 23.03.2024 एवं क्रेता का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं० JHLRCO/2024/245298 दिनांक 04.03.2024 की छायाप्रति अभिलेख में संलग्न है। अतः अंचल अधिकारी, चास के उपरोक्त प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 46(1)(b) के तहत आवेदक (विक्रेता) छवि देवी पति-स्व० सुभाष चन्द्र बाउरी, जाति-बाउरी, ग्राम-प्रभात कॉलोनी, चास, थाना-चास, जिला-बोकारो के द्वारा चास अंचल अन्तर्गत मौजा-तेलीडीह, थाना नं०-34, खाता नं०-27, प्लॉट नं०-1183, रकवा-4.25 डी० भूमि (क्रेता) ममता देवी पति-देवीलाल रजक, जाति-धोबी, ग्राम-चंडीपुर, थाना-कसमार, जिला-बोकारो को बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। लेखापित एवं संशोधित,  भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चास।  भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चास।	12/04/24 C.C. 1880 24/04/24